न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(डॉ.सौम्या झा,आई.ए.एस द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 36 / 2021
प्रविष्टि दिनांक 01.02.2021

मुकेश पुत्र मूलचन्द खाती निवासी अलीगढ तहसील उनियारा जिला टोंक राज0
—अपीलांट

बनाम

तहसीलदार उनियारा जिला टोंक राज0

—रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व निर्णय तहसीलदार उनियारा दिनांक 11.01.2021 मिसल नम्बर 28 / 2021

उपस्थिति : (1) श्री विजय बहादूर सिंह,अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री सावंतराम मीना, नायब तहसीलदार राजकीय पेरोकार

निर्णय **दिनांक 06.03.2024**

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उनियारा ने अपने निर्णय दिनांक 11.01.2021 के द्वारा अपीलान्ट को राजकीय भूमि खसरा नम्बर 135 रकबा 0.10 है0 किस्म चरागाह वाके ग्राम उखलाना तहसील उनियारा में राजकीय भूमि पर आरा मशीन,मकान व बाडा बनाकर अतिक्रमण करने के कारण पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए भूमि से बेदखल करने, 40 / रू. पेनल्टी कायम कर 3 माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अपीलान्ट ने तहसीलदार उनियारा के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय पेरोकार की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस पर अपीलांट की प्रोपर तामिल नही हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को बिना सुने व बिना साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान किये बिना ही निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय धारा 91(3) के लिये आज्ञापक प्रावधानो की पूर्ती नही करता है। निर्णय मे पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व मौके की वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट नही मंगवाई और ना ही स्वंय द्वारा मौके देखा गया है। अपीलांट उक्त भूमि पर अपने पूरखो के समय से ही अपने पिता मूलचन्द के साथ निवास करता आ रहा है। अपीलांट का अलग से कोई मकान नही है। अपीलांट के पिता

जिला कलेक्टर

ने अपने व अपने परिवार की आजीविका हेतु आरा मशीन लगा रखी है ओर वन विभाग से उसका लाईसेंस भी ले रखा है। अपीलांट के अलावा भी उक्त स्थान पर अन्य 70–80 लोगो के मकान बने हुये है जो अपने परिवार सहित वहां निवास कर रहे है। पटवारी हल्का द्वारा अपीलांट के विरूद्व झूठी रिपोर्ट पेश की है। अपीलांट को पटवारी हल्का से जिरह करना का अवसर भी नही दिया गया है। अपीलांट के पिता मूलचंद को ग्राम पंचायत बिलोता द्वारा उक्त भूमि का आवासीय पट्टा जारी किया गया है,जिसका पट्टा संख्या 1 व मिसल संख्या 11 दिनांक 15.10.1999 है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपीलान्ट के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय पेरोकार ने कथन किया कि अपीलान्ट को विवादित भूमि खसरा नम्बर नम्बर 135 रकबा 0.10 है0 किस्म चरागाह वाके ग्राम उखलाना तहसील उनियारा में राजकीय भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर आरा मशीन,मकान व बाडा बनाकर अतिक्रमण करने पर तहसीलदार उनियारा द्वारा भूमि से बेदखल करने, पेनल्टी कायम करने का आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को विधिवत नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया है, जिस पर अपीलान्ट की विधिवत तामील हुई है। अपीलान्ट न्यायालय में उपस्थित नही हुये है। अपीलान्ट ने पूर्व में भी उक्त भूमि पर अतिक्रमण किया था, जो पटवारी रिपोर्ट से सिद्व है। अपीलान्ट भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है ओर राजकीय भूमि पर बार–बार अतिक्रमण करने का आदी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। नोटिस पर अपीलाण्ट की और से कालूराम की तामील हुई है। अपीलान्ट न्यायालय में उपस्थित नही हुये है। अपीलान्ट द्वारा भूमि खसरा नम्बर नम्बर 135 रकबा 0.10 है0 किस्म चरागाह वाके ग्राम उखलाना तहसील उनियारा पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर आरा मशीन,मकान व बाडा बनाकर अतिक्रमण किया है,जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट से सिद्व है।

अभिभाषक अपीलांट का कथन है कि अपीलांट के पिता मूलचंद को ग्राम पंचायत बिलोता द्वारा उक्त भूमि का आवासीय पट्टा जारी किया गया है,जिसका पट्टा संख्या 1 व मिसल संख्या 11 दिनांक 15.10.1999 है। ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत बिलोता से उक्त पट्टे से संबंधी मूल पत्रावली/रिकार्ड चाहे जाने पर उनके द्वारा पत्र कमाक 63 दिनांक 20.02.2022 से अवगत कराया है कि प्रार्थी के पट्टे के संबंध मे ग्राम पंचायत बिलोता का वर्ष 1999 का रिकार्ड देखा गया जो ग्राम पंचायत मे नही मिला है कि रिपोर्ट प्रेषित की है। अपीलांट ने न्यायालय मे दिनांक 07.03.2022 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम पंचायत बिलोता द्वारा जारी पट्टे की प्रति पेश की है। पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात से यह स्पष्ट नही होता है कि उक्त पट्टा आबादी भूमि का है या चरागाह भूमि का है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय मे अपीलांट को पूर्व मे किस पत्रावली के जरिये बेदखल किया गया है का भी उल्लेख नही है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

जिला कलेक्टर
टोक

फलतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 11.01.2021 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार उनियारा को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित (Remand) किया जाता है कि पक्षकारों की विधिवत सुनवाई कर,दस्तावेजात/पट्टे की जांच कर पुनः नियमानुसार निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 06.03.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)

(डॉ0 सौम्या झा)
जिला कलेक्टर,टोक

जिला कलेक्टर
टोंक